


03 $\frac{3}{25}$

अपीलांत के अधिवक्ता अनुा अप्रार्थीगण को तलवी हेतु अधिवक्ता अपीलांत द्वारा साबिका आदेश की पालना नहीं की गई। इस हेतु पूर्व में पर्याप्त अक्सर प्रदान किये जाये। गिराजा प्रार्थी को यह अपील अदम पैरवी एवं अदम पालना न्यायालय आदेश में खारिज की जाती है। पत्रावली फॉसल 25माबर होकर नंबर से कम हो एवं वाखिल वपतर हो।


अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

